

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

EXECUTIVE ENGINEER PHED PROJECT DIVISION I KOTA द्वारा **BORABAS MANDANA WATER SUPPLY PROJECT KOTA (RAJASTHAN)** के निर्माण कार्य हेतु कोटा जिले के वन मंडल कोटा टेरिटोरियल की 3.14 है0 एवं मुकुंदरा बाघ परियोजना की 0.86 है0 वन भूमि कुल 4.0 है0 वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/18810/2016 से दिनांक 27.5.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा द्वारा प्रस्ताव में पार्ट II एवं पार्ट III की पूर्ती कर प्रस्तुत की गई। सम्पूर्ण प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्न कमियां पाई गई है जिनकी टिप्पणी निम्नानुसार है :-

1. यूजर एजेन्सी द्वारा FRA certificate के संदर्भ में प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है किन्तु जिला स्तरीय समिति बैठक कार्यवाही विवरण (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र) में गैर वन भूमि के संदर्भ में प्रमाण पत्र देने का लिखा गया है जो संशोधन किया जाना अपेक्षित है इसी प्रकार ग्रामों की सूची मय ग्रामवार रकबा सहित संलग्न नहीं की गई है। 5 ग्राम पंचायत द्वारा जल विभाग को मात्र कार्य की अनुमति दी गई है जबकि इसमें वनाधिकार अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही विवरण सहित संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
2. एन0पी0वी0 गणना रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
3. कोटा प्रादेशिक वन मंडल के पार्ट II में जिले में वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है जो किया जाना प्रस्तावित है।
4. मुख्य वन संरक्षक कोटा एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा द्वारा प्रस्ताव में रिकमंडेशन संलग्न की गई है जबकि इसमें निर्धारित प्रपत्र में पार्ट III संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में हार्ड प्रति (2 सेट) दी जानी प्रस्तावित है।

उक्त बिन्दुओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। अतः सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।